बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

पत्रांक–6/वि01–1061/12– 62 पटना, दिनांक– 10/1/13

प्रेषक :

रबीन्द्र पवांर,
प्रधांन सचिव

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता,
सभी अधीक्षण अभियंता
सभी कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

विषयः– **बाढ़ से कटाव प्रभावित क्षेत्रों में विशेष परिस्थिति में निजी भूमि पर चापाकल निर्माण करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे निदेशानुसार कहना है कि विभाग द्वारा सामान्यतया सार्वजनिक स्थल पर चापाकल का निर्माण कराया जाता है। परंतु बाढ़ से कटाव प्रभावित क्षेत्रों में चापाकलों के निर्माण के लिए सार्वजनिक स्थल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निजी भूमि पर पेयजल हेतु चापाकल का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता हो सकती है। अतः सार्वजनिक भूमि के बदले निजी भूमि पर चापाकल निर्माण की अनुमति निम्नांकित परिस्थिति में देने का निर्णय लिया गया है :

- कटाव प्रभावित बसावट/गाँवों में सरकारी/सार्वजनिक भूमि उपलब्ध नहीं हो।
- चापाकल निर्माण हेतु प्रस्तावित निजी भूमि उस बसावट के सभी प्रभावित परिवारों के पहुँच के उपयुक्त हो, यानि स्थल aproachable हो।
- संबंधित निजी भूमि के मालिक इस आशय की लिखित अनुमति दें कि उनकी निजी भूमि पर सरकारी चापाकल लगाया जा सकता है तथा वे बसावट के सभी प्रभावित परिवारों को पानी लेने देंगे (यानि चापाकल सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध रहेगा)।

यह मात्र आपदा की स्थिति (यथा बाढ़ से कटाव होने पर) में गाड़े जाने वाले चापाकलों के अधिष्ठापन तक सीमित रहेगा।

विश्वासभाजन

9.1.13

(रबीन्द्र पवांर)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–6/वि01–1061/12– 62 पटना, दिनांक– 10/1/13

प्रतिलिपि– सभी जिला पदाधिकारियों/प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.1.13

(रबीन्द्र पवांर)
प्रधान सचिव

o/c